न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– यू0डी0खान
आई.ए.एस.

अपील संख्या 92/2019

बिहारीलाल पुत्र स्व0 लादुराम, जाति जाट, निवासी खीदरसर उर्फ पुरा की ढाणी, तहसील व जिला झुंझुनूं।

–– अपीलान्ट

बनाम

1. फूलसिंह पुत्र स्व0 लादुराम, जाति जाट, निवासी खीदरसर उर्फ पुरा की ढाणी, तहसील व जिला झुंझुनूं।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, झुंझुनूं तहसील व जिला झुंझुनू।

–– रेस्पोडेन्ट

––

प्रथम अपील अ0धा0 75 राज0 भू0 राजस्व अधिनियम 1956 प्रथम अपील खिलाफ निर्णय न्यायालय तहसीलदार झुंझुनूं दिनांक 15.10.2018 बमुकदमा उनवानी बिहारीलाल बनाम फूलसिंह आवेदन पत्र अ0धारा 91 राज0 भू0राजस्व अधिनियम 1956 मु0न0 63/2017

––

उपस्थित:–

1. श्री संदीप काजला, एडवोकेट– अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री राजवीर बुडानिया, एडवोकेट – रेस्पोडेन्ट सं0 1 की ओर से।
3. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक – रेस्पोडेन्ट सं0 2 की ओर से।

आदेश

दिनांक 04.11.2020

पत्रावली पेश हुई। उक्त विषयक अपील तहसीलदार झुंझुनूं के निर्णय दिनांक 15.10.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट ने रेस्पोडेन्ट नं0 1 के खिलाफ न्यायालय तहसीलदार झुंझुनूं मे प्रार्थना पत्र अ0धारा 91 राज0 भू0 राजस्व अधिनियम 1956 बाबत जमीन ख0न0 258 रकबा 0.12 हैक्टर गैर मुमकीन आम रास्ता वाके ग्राम खीदरसर के भाग पर अतिक्रमण हटाने के संबंध मे पेश किया। न्यायालय तहसीलदार झुंझुनूं ने अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र दर्ज कर निर्णय दिनांक 15.10.2018 से अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र अ0धा0 91 राज0 भू0 राजस्व अधिनियम को निरस्त कर दिया। इस कारण न्यायालय तहसीलदार झुंझुनूं के निर्णय दिनांक 15.10.2018 को अपास्त करवाने व गैर मुमकीन रास्ता ख0न0 258 रकबा 0.12 है0 वाके ग्राम खीदरसर के भाग पर रेस्पोडेन्ट नं0 1 द्वारा किये गये अतिक्रमण को हटवाने के लिए अपीलान्ट की ओर से अपील नीचे लिखे अनुसार पेश है:– न्यायालय तहसीलदार झुंझुनूं का निर्णय दिनांक 15.10.2018 खिलाफ कानून, न्याय व पत्रावली है। अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र अ0धारा 91 राज0 भू0 राजस्व अधिनियम मे दर्ज किया कि जमीन ख0न0 258 रकबा 0.12 हैक्टर गैर मुमकीन रास्ता है व राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है। उक्त तथ्य को रेस्पोडेन्ट नं0 1 ने अपने जबाब मे स्वीकार किया है। उक्त तथ्य की पुष्टि पटवारी हल्का की रिपोर्ट व गिरदावर की रिपोर्ट व राजस्व रिकार्ड से होती है। यह स्वीकृत तथ्य है कि जमीन ख0न0 258 रकबा

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

0.12 हैक्टर गैर मुमकीन रास्ता वाके ग्राम खिदरसर है। कानून से गैर मुमकीन रास्ते की जमीन मे न तो कोई अतिक्रमण कर सकता है व न ही अतिक्रमी को सुरक्षा दी जा सकती है। न्यायालय तहसीलदार झुंझुनूं ने निर्णय दिनांक 15.10.2018 मे जमीन ख0न0 258 रकबा 0.12 हैक्टर गैर मुमकीन रास्ता होना माना है। जमीन ख0न0 276 रकबा 1.13 हैक्टर वाके ग्राम खिदरसर होना व इस जमीन के उत्तरी पश्चिमी कोने से सटकर रास्ता ख0न0 258 रकबा 0.12 हैक्टर वाके ग्राम खीदरसर होना अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र मे दर्ज किया। जमीन ख0न0 276 रकबा 1.13 हैक्टर का अपीलान्ट सह खातेदार होना भी प्रार्थना पत्र मे दर्ज किया। उक्त तथ्य को रेस्पोडेन्ट नं0 1 ने अपने जबाब प्रार्थना पत्र मे स्वीकार किया है। उक्त तथ्य की पुष्टि नक्शा किश्तवार व गिरदावर हल्का की रिपोर्ट से भी होती है। यह स्वीकृत तथ्य हुआ कि अपीलान्ट की सह खातेदारी की कृषि भूमि ख0न0 276 रकबा 1.13 हैक्टर के उत्तरी पश्चिमी कोने से सटकर गैर मुमकीन रास्ता जमीन ख0न0 258 रकबा 0.12 हैक्टर वाके ग्राम खीदरसर है। अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र अ0 धारा राज0 भू0 राजस्व अधिनियम की धारा 4 मे यह दर्ज किया कि जमीन ख0न0 276 के उत्तरी कोने पर ख0न0 258 गैर मुमकीन रास्ते की भाग की जमीन पर रेस्पोडेन्ट नं0 1 ने छडिया डालकर अवरोध कर अतिक्रमण किया है। रेस्पोडेन्ट नं0 1 ने योग्य अदालत मातहत मे जबाब प्रार्थना पत्र पेश किया जिसमे अपने जबाब की धारा 4 मे अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र की धारा 4 के तथ्यों को अस्वीकार नही किया। इस प्रकार अतिक्रमण के बाबत रेस्पोडेन्ट नं0 1 की स्वीकृति होते हुए भी उस पर गौर किये बिना योग्य अदालत मातहत ने निर्णय दिनांक 15.10.2018 पारित करने मे भूल की है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र मे उक्त अनुसार यह दर्ज किया गया कि अपीलान्ट की सह खातेदारी की कृषि भूमि ख0न0 276 के उत्तरी पश्चिमी कोने मे गैर मुमकीन रास्ता ख0न0 258 है व इस उत्तरी पश्चिमी कोने पर गैर मुमकीन रास्ता की जमीन के भाग पर रेस्पोडेन्ट नं01 पे छडिया डालकर अतिक्रमण किया व अपीलान्ट के रास्ते मे अवरोध पैदा किया। रेस्पोडेन्ट नं0 1 ने अपने जबाब मे यह कथन नही किया कि जमीन ख0न0 276 के उत्तरी पश्चिमी कोने पर स्थित गैर मुमकीन रास्ते के भाग की जमीन पर अतिक्रमण न किया हो। योग्य अदालत मातहत के सामने विवादित बिन्दू यह रहा था कि जमीन ख0न0 276 के उत्तरी पश्चिमी कोने पर स्थित आम रास्ते के भाग की जमीन पर रेस्पोडेन्ट नं0 1 ने अतिक्रमण किया है अथवा नही। उक्त तथ्य पर अपीलान्ट ने योग्य अदालत मातहत मे अपना शपथ पत्र पेश किया व उक्त तथ्यों पर खण्डन मे रेस्पोडेन्ट सं0 1 ने शपथ पत्र पेश नही किया। इस प्रकार उक्त तथ्य स्वीकृत रहा। इस पर योग्य अदालत मातहत ने गौर नही किया। योग्य अदालत मातहत ने अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र पर पटवारी हल्का की रिपोर्ट ली जिस पर अपीलान्ट ने आपत्ति पेश की। अपीलान्ट की आपत्ति को स्वीकार कर पुनः रिपोर्ट चाही गई जिस पर योग्य अदालत मातहत ने रिपोर्ट पटवारी दिनांक 29.09.2017 रिपोर्ट गिरदावर हल्का झुंझुनूं की रिपोर्ट दिनांक 14.12.2017 योग्य अदालत मातहत मे पेश हुई। इन रिपोर्टो मे कथन किया गया कि जमीन ख0न0 276 की उत्तरी पश्चिमी सीमा गैर मुमकीन रास्ते के सटकर है व इस जगह पर तारबन्दी की हुई है। इन रिर्पोटों से यह साफ जाहिर है कि रेस्पोडेन्ट नं0 1 ने अपीलान्ट की सह खातेदारी की जमीन ख0न0 276 के उत्तरी पश्चिमी सीमा पर स्थित गैर मुमकीन रास्ता ख0न0 258 रकबा 0.12 हैक्टर के भाग की जमीन पर रेस्पोडेन्ट नं0 1 ने अतिक्रमण किया। योग्य अदालत मातहत ने अपने निर्णय मे इस रिर्पोटों का गलत उल्लेख कर गलत रूप से अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र निर्णय दिनांक 15.10.2018 से निरस्त किया है। योग्य अदालत मातहत के पीठासीन अधिकारी ने मौका नही देखा। इसी कारण मौका देखने के लिए नोटिस जारी नही किये व न मौके की रिपोर्ट बनाई व न अपीलान्ट को इस बाबत नोटिस दिया। इस प्रकार अपीलान्ट का प्रार्थना

[illegible] निरस्त करने के लिए मौका देखने का तथ्य गलत दर्ज किया है। जमीन गत ख0न0 100 रकबा 19 बिश्वा गैर मुमकीन रास्ता था जिसके हाल ख0न0 258 रकबा 0.12 हैक्टर आदि है। जमीन गत ख0न0 361/99 रकबा 1 बीघा 3 बिश्वा हाल ख0न0 257 रकबा 0.29 हैक्टर वाके ग्राम खीदरसर है। जमीन गत ख0न0 99 रकबा 4 बीघा 10 बिश्वा हाल ख0न0 276 रकबा 1.13 हैक्टर वाके ग्राम खिदरसर है। जमीन गत ख0न0 101 रकबा 14 बीघा 6 बिश्वा के हाल ख0न0 259/993 रकबा 0.01 हैक्टर कुआ व ख0न0 259 रकबा 3.61 हैक्टर है। जमीन ख0न0 259 के दक्षिण मे रास्ता ख0न0 258 है व जमीन ख0न0 257 के उत्तर मे रास्ता ख0न0 258 है। जमीन ख0न0 257 के दक्षिण मे अपीलान्ट की सह खातेदारी की जमीन ख0न0 276 है। ख0न0 276 के उत्तरी पश्चिमी कोने की सीमा पर गैर मुमकीन रास्ता ख0न0 258 की जमीन है। उक्त तथ्यों का विरोध रेस्पोडेन्ट नं0 1 ने नही किया। गिरदावर हल्का की रिपोर्ट से भी उक्त तथ्यों की ताईद होती है। रेस्पोडेन्ट नं0 1 ने अपने जबाब प्रार्थना पत्र मे अपना खेत ख0न0 269 होना गलत दर्ज किया है। रेस्पोडेन्ट नं0 1 ने अपने जबाब प्रार्थना पत्र मे अपने खेत के तारबन्दी करने का उल्लेख किया है लेकिन यह उल्लेख नही किया कि यह तारबन्दी जमीन ख0न0 258 गैर मुमकीन रास्ते की जमीन को खाली छोडकर अपने खेत की सीमा मे कर रखी हो। रेस्पोडेन्ट नं0 1 ने जमीन ख0न0 276 की उत्तरी पश्चिमी सीमा पर गैर मुमकीन रास्ता ख0न0 258 के भाग की जमीन पर तारबन्दी कर छडिया डालकर व लोहे के एंगल गाडकर अतिक्रमण किया है जो सिद्व है व रेस्पोडेन्ट नं0 1 का अतिक्रमण हटाये जाने योग्य है। अदालत मातहत ने अतिक्रमण के बाबत जबानी साक्ष्य नही ली व गिरदावर हल्का की रिपोर्ट को अस्वीकृत किये बिना ही उसकी अनदेखी कर निर्णय मे गलत उल्लेख कर विधि विरूद्व निर्णय पारित किया है जो रेस्पोडेन्ट नं0 1 को विधि विरूद्व सहायता करना जाहिर होता है। अतः अपील पेशकर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर न्यायालय तहसीलदार झुंझुनूं का निर्णय दिनांक 15.10.2018 अपास्त किया जाकर अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र अ0 धारा राज0 भू0 राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाकर जमीन ख0न0 276 रकबा 1.13 हैक्टर वाके ग्राम खीदरसर की उत्तरी सींव पर स्थित गैर मुमकीन रास्ता जमीन ख0न0 258 रकबा 0.12 हैक्टर वाके ग्राम खीदरसर के भाग की जमीन पर रेस्पोडेन्ट नं0 1 फूलसिंह को अतिक्रमी घोषित कर बेदखल किया जाकर अतिक्रमण मे तारबन्दी व लोके का एंगल व लकडिया हटवायी जाकर रास्ते का भाग का अतिक्रमण हटवाया जावे।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट् ने बहस के दौरान अपील मे वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुए निवेदन किया कि अपीलान्ट का खेत ख0न0 276 है। व रेस्पोडेन्ट सं0 1 का खेत ख0न0 257 व 259 है। उक्त दोनो खेतों के कोनो से रास्ता ख0न0 258 गुजरता है जिसे रेस्पोडेन्ट नं0 1 ने तारबन्दी कर अवरूद्व कर दिया है। अदालत मातहत तहसीलदार ने विवादित भूमि का मौका देखा जाना निर्णय मे बताया है परन्तु मौका देखे जाने की सूचना मुझे नही दी गई। तहसीलदार झुंझुनूं ने नक्शे पर भी गौर नही किया। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर न्यायालय तहसीलदार झुंझुनूं का निर्णय दिनांक 15.10.2018 अपास्त किया जावे एवं अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र अ0 धारा राज0 भू0 राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाकर जमीन ख0न0 276 रकबा 1.13 हैक्टर वाके ग्राम खीदरसर की उत्तरी सींव पर स्थित गैर मुमकीन रास्ता जमीन ख0न0 258 रकबा 0.12 हैक्टर वाके ग्राम खीदरसर के भाग की जमीन पर रेस्पोडेन्ट नं0 1 फूलसिंह को अतिक्रमी घोषित कर बेदखल किया जाकर अतिक्रमण मे तारबन्दी व लोके का एंगल व लकडिया हटवायी जाकर रास्ते का भाग का अतिक्रमण हटवाया जावे।

वकील रेस्पोडेन्ट सं0 1 ने बहस के दौरान वकील अपीलान्ट के कथनो का विरोध किया तथा तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलान्ट मेरे खेत मे जबरन रास्ता कायम करना चाहते है। मेरे खेत ख0न0 257 व ख0न0 259 का रकबा ही पूरा नही होता जबकि अपीलान्ट के पास उसके खेत ख0न0 276 की उसके रकबे से ज्यादा जमीन है। अतः अदालत मातहत द्वारा पूर्ण दस्तावेजों के अवलोकन के उपरांत ही निर्णय पारित किया गया है। अपीलांट की अपील में कोई फोर्स नहीं है। अपीलान्ट्स की अपील खारिज फरमाई जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किया कि विवादित भूमि के क्रम मे अदालत मातहत द्वारा बाद जांच एवं रिकार्ड के अरधार पर निर्णय किया गया है जो विधिसम्मत है जिसमें किसी प्रकार की अनियमितता नही है। अपीलांट की अपील में कोई फोर्स नहीं है। अपीलान्ट्स की अपील खारिज फरमाई जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया व बहस वकील पक्षकारान पर बगौर मनन किया। बहस के दौरान वकील अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट दोनो ही साबित नही कर पाये कि विवादित रास्ता कहां पर कितना चौडा है। मौके पर रास्ता कितना चौडा व मुताबिक रिकार्ड रास्ता कितना चौडा है। ऐसी परिस्थिति मे वर्णित प्रकरण मे विस्तृत परीक्षण आवश्यक है। अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.10.2020 खारिज किया जाता है तथा निर्णय प्रति इस निर्देश के साथ प्रेषित की जाती है कि अदालत मातहत विवादित भूमि ख0न0 258 गैर मुमकीन रास्ता वाके ग्राम खिदरसर की मौके का नक्शा/रिकार्ड के अनुसार पुनः जांच करते हुये अपीलान्ट को सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान कर विधि सम्मत् निर्णय पारित करें। उभय पक्षकारान् प्रकरण मे सुनवाई हेतु अदालत मातहत के समक्ष दिनांक 18.11.2020 को उपस्थित हो। रिकार्ड अदालत मातहत निर्णय की प्रति सहित वापिस लौटाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर पंजिका से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 04.11.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

04/11

(यू0डी0खान)
जिला कलक्टर, झुंझुनू
जिला कलक्टर झुंझुनूं